झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०–08 / ज०सं०(नि०) कोर्ट केस–05 / 2013 (पार्ट) .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री परमेश्वर झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को लघु सिंचाई प्रमण्डल, धनबाद में पदस्थापन अवधि में तालाब एवं कूपों के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के लिए विभागीय उड़नदस्ता से जाँच करायी गई। उक्त जाँच प्रतिवेदन में कतिपय प्रतिवेदित अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त श्री झा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए आदेश संख्या–3018 दिनांक– 06.06.2013 द्वारा निम्नदण्ड संसूचित किया गया :–

(i) निन्दन
(ii) सरकारी क्षति की राशि रू० 2,05,935 / – (दो लाख पाँच हजार नौ सौ पैंतीस मात्र) रूपये की वसूली।

श्री झा द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर किये गये याचिका सं०– WP(S) 3551/2013 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 16.05.2017 को पारित न्याय निर्णय में उक्त दण्डादेश (आदेश संख्या– 3018 दिनांक– 06.06.2013) को निरस्त कर दिया गया।

उक्त न्याय निर्णय (दिनांक– 16.05.2017) के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में LPA No. - 503/2017 दाखिल किया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 28.02.2019 को पारित न्याय निर्णय का मुख्य operative भाग निम्नवत् है –

> In view of the settled Position in law that even before a minor punishment is imposed the employee has a right to be heard, we find no infirmity in the impugned order dated 16.05.2017 by which the penalty order dated 06.06.2013 has been quashed, however, it is clarified that, as is the settled law that in cases in which an order has been quashed on the ground of violation of the principles of natural Justice the department may proceed with the enquiry from the stage at which the breach has been found committed by the departmental authority the appellant - state shall be at liberty to proceed against the delinquent employee, in accordance with law.'
>
> "Accordingly LPA No. - 503/2017 stands disposed of "

अतएव उक्त न्याय निर्णय के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया है :–

(i) श्री परमेश्वर झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अधिरोपित दण्डादेश संख्या–3018 दिनांक– 06.06.2013 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
(ii) उक्त न्याय निर्णय के आलोक में श्री झा से पेंशन नियमावली के नियम–139 के अन्तर्गत द्वितीय कारण पृच्छा / स्पष्टीकरण पूछकर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _Court Case_05_2013_(Part)_(Parmeshwar Jha).docx 1

ज्ञापांक : 2823 राँची / दिनांक 28/5/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / उप सचिव(प्रबंधन), प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री परमेश्वर झा, पिता–स्व० महावीर झा, कुसुम विहार, मोराबादी, थाना+मो०–मोराबादी, जिला–राँची (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/05/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _Court Case_05_2013_(Part)_(Parmeshwar Jha).docx 2